2026 का अधिनियम संख्यांक 33

[दि इंडसट्रियल रिलेशन्स कोड (अमेंडमेंट) बिल, 2026 का हिन्दी पाठ]

औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026 है ।

(2) यह 21 नवंबर, 2025 से प्रवृत्त समझा जाएगा ।

2020 का अधिनियम 35 का संशोधन ।

2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 104 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) निम्नलिखित अधिनियमितियां धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन जारी अधिसूचना में नियत तारीख से निरसित हो जाएंगी, अर्थात्:—

(क) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926; 1926 का 16

(ख) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946; और 1946 का 20

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ।"। 1947 का 14

उद्देश्यों और कारणों का कथन

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 अधिनियमितियों, अर्थात् व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946; और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 जो व्यवसाय संघ औद्योगिक नियोजन और औद्योगिक विवादों से संबंधित है, का प्रतिस्थापन करती है और इसमें निरंतरता और विधिक निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए उसकी धारा 104 के अधीन व्यावृत्ति उपबंध अंतर्विष्ट हैं ।

2. यद्यपि स्वयं संहिता की धारा 104 के प्रवर्तन होने से ही निरसन हो गया है, तब भी इस भ्रामक आधार पर भविष्य में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है कि अधिनियम उक्त अधिनियमितियों के निरसन करने की शक्ति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित करता है । धारा 104 के उपबंध और राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 465 (अ) तारीख 2 फरवरी, 2026 से यह स्पष्ट है कि स्वयं संहिता की धारा 104 के प्रवर्तन होने से ही निरसन हो गया है, तब भी भविष्य की अनपेक्षित जटिलताओं से बचने के लिए प्रस्तावित संशोधन को पुर:स्थापित करना वांछनीय समझा गया है ।

3. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
10 फरवरी, 2026

डा. मनसुख मांडविया

वित्तीय ज्ञापन

औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 यदि यह अधिनियमित किया जाता है तो भारत की संचित निधि में से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति के किसी व्यय के अंतर्वलित होने की संभावना नहीं है ।

उपाबंध

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 35) से उद्धरण

* * * * * *

निरसन और व्यावृतियां ।

104. (1) इस संहिता के किसी उपबंध के प्रारंभ के लिए धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन जारी अधिसूचना में, केन्द्रीय सरकार यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी, कि—

1926 का 16 (क) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 ;

1946 का 20 (ख) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 ; और

1947 का 14 (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947,

के उपबंध इस निमित्त अधिसूचना में नियत तारीख से निरसित हो जाएंगे और खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के शेष उपबंध तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक उन्हें वैसी ही रीति में वैसी अधिसूचनाओं द्वारा निरसित नहीं कर दिया जाता है ।

* * * * * *